(संशोधित निर्णय)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी –श्री कर्मवीर सिंह आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या : 84/2024

1–रीना गोस्वामी पत्नी श्री प्रमोदपुरी जाति गुसाई निवासी मठ चिलाचौंद बाडी जिला धौलपुर।

– – – वादिया

बनाम

1–रिन्कू पुत्र महेश जाति गुसाई निवासी पुरा करीमपुर तह. सैंपउ
2– संजय पुत्र महेश जाति गुसाई निवासी पुरा करीमपुर तह. सैंपउ
3– शशि पुत्री महेश जाति गुसाई निवासी पुरा करीमपुर तह. सैंपउ
4– किशनवन पुत्र श्री मोहनवन गुसाई निवासी महाराजपुरा तहसील व जिला धौलपुर राज0

– – – असल प्रतिवादीगण

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सैंपऊ जिला धौलपुर।

– – – तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा वावत् स्वत्व घोषणा ,दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – 1. श्री हजरत खां एडवोकेट वादी
2 श्री गिरीश व्यास एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

निर्णय दिनांक: 26/9/25

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 49 के आराजी खसरा नम्बर 26/24 रकवा 8 विस्वा स्थित बाके ग्राम पुरा करीमपुर पटवार मण्डल करीमपुर तहसील सैपउ जिला धौलपुर राज0 जिसे वाद की आगामी चरणों में विवादित कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है । गीता पत्नी महेश जाति गुसाई निवासी गुर्जा करीमपुर की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु के बाद उन्होने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रिन्कू, संयज पुत्रगण व शशि पुत्री को छोडा है जिन्होने उसका समस्त तर्का प्राप्त किया है। विवादित कृषि भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की माताजी गीता पत्नी श्री महेश जाति गुसाई निवासी ग्राम पुरा करीमपुर तहसील सैंपउ थी जो काबिज काश्त थी। जिन्होने विवादित कृषि भूमि खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

Scanned with CamScanner

नम्बर 26/24 रकवा 8 विस्वा में से हिस्सा 1/8 यानि बयनामा रकवा 1 विस्वा भूमि के खातेदारी का विकय जरिये रजिस्टर्ड बयनामा विकय दिनांक 5.7.2019 को केता प्रतिवादी संख्या 4 किशनवन पुत्र श्री मोहनवन जाति गुसाई निवासी महाराजपुरा तहसील व जिला धौलपुर के पक्ष में किया तथा मौके पर उसी दिवस से स्वयं के समान कब्जा दिया तथी से केता काबिज काश्त कर रहा है बावजूद राजस्व अभिलेख में उक्त विकय पत्र के अधीन नामान्तकरण स्वीकार नही हुआ। विवादित कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 4 किशनवन पुत्र श्री मोहनवन ने अपने स्वत्व एवं खातेदारी अधिकारों को विकय जरिये रजि0 विकय विलेख दिनांक 16.3.2020 वहक केता वादिया रीना गोस्वामी पत्नी श्री प्रमोदपुरी जाति गुसाई निवासी मठ चिलाचौदा तहसील बाडी के पक्ष में खसरा नम्बर 1160/26 रकवा 0.1012 हे. में से हिस्सा 1/8 यानी बयनामा रकवा 1 विस्वा वाके ग्राम पुरा करीमपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर राज0 का बयनामा कर दिया। तथा मौके पर स्वयं के समान आधिपत्य वादिया केता को सौपा उसी दिन से केता वादिया कयशुदा विवादित कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करती चली आ रही है एवं वर्तमान में भी काबिज होकर काश्त है। विवादित कृषि भूमि के एकान्तिक खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 की माताजी गीता पत्नी महेश द्वारा विकय दिनांक 5.7.2019 वहक प्रतिवादी संख्या 4 किशनवन पुत्र श्री मोहनवन जाति गुसाई निवासी महाराजपुरा तहसील व जिला धौलपुर के पक्ष में किया गया और किशनवन पुत्र मोहनवन जाति गुसाई निवासी महाराजपुरा तहसील व जिला धौलपुर ने विकय दिनांक 18.3.2020 वहक वादिया रीना गोस्वामी पत्नी श्री प्रमोदपुरी जाति गुसाई निवासी मठ चिलाचौंद तहसील बाडी जिला धौलपुर राज के पक्ष में किया गया। जिनके सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण स्वीकार किये जाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो उन्होने नामान्तकरण हेतु वादिया को आश्वस्त कर दिया लेकिन अभिलेख में नामान्तकरण स्वीकार नहीं किया पुनः बार–बार निवेदन करने पर नामान्तकरण स्वीकार किये जाने से मना कर दिया तथा सक्षम न्यायालय से कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उक्त बयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का से काफी निवेदन किया गया लेकिन उन्होने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के निर्देश दिए जिस के कारण वादकरण उत्पन्न हुआ है जो आज तक निरन्तर जारी है। अपने वादपत्र के अन्त में वाद वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 डिकी किया जाकर वादिया को विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 49 के आराजी खसरा नम्बर 1160/26 रकवा 0.1012 हे. में से हिस्सा 1/8 वाके ग्राम पुरा करीमपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर में बयनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादिया के नाम की प्रविष्टि करायी जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा के लिए प्रतिबन्धित किये जाने कि विवादित कृषि भूमि में वादिया को जबरन बलपूर्वक बेदखल नहीं करें ना ही किसी प्रकार की दखलन्दाजी करें का निवेदन किया है।

उपरोक्त आशय का दावा वादिया द्वारा पेश करने के बाद प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

Scanned with CamScanner

से जबाव दावा बतौर इकबाल दावा पेश कर दावा वादिया मुताबिक वादपत्र अन्तिम रूप से डिक्री किए जाने में अनापत्ति प्रकट कर दावा वादिया मुताबिक वादपत्र अन्तिम रूप से डिक्री किए जाने बावत निवेदन किया गया ।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी एवं पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात नकल बयनामा दिनांक 5.7.19 विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की माता गीता पत्नी महेश एवं क्रेता प्रतिवादी संख्या 4 किशनवन पुत्र मोहनवन तथा रजिस्टर्ड बयनामा दिनांकित 16.3.2020 का अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 किशनवन पुत्र मोहनवन के द्वारा आराजी ख0न0 1160/26 रकवा 0.1012 हे. में से हिस्सा 1/8 यानी रकवा 1 विस्वा अपने स्वत्व एवं खातेदारी अधिकार क्रेता वादिया रीना गोस्वामी पत्नी श्री प्रमोदपुरी जाति गुंसाई के पक्ष में कर दिए तथा स्वंय के समान आधिपत्य करा दिया तब से वादिया निर्वाध रूप से उपयोग उपभोग एवं काबिज काश्त है। तथा बहस के दौरान वकील प्रतिवादी द्वारा वकील वादिया के तथ्यों की ताहीद कर दावा वादिया मुताबिक वादपत्र अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बावत निवेदन किया हैं।

अतः बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर हम दावा वादिया स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि आराजी नवीन खसरा नम्बर 1247/1160 रकवा 0.0506 हे. में से हिस्सा 1/8 1/4 भाग वाके ग्राम पुरा करीमपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर में रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर वादिया के नाम की प्रविष्टि की जावे। तथा प्रतिवादीगण 1 लगा0 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा के लिए प्रतिबन्धित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि में वादिया को जबरन बलपूर्वक बेदखल नहीं करें ना ही किसी प्रकार की दखलन्दाजी करें ।

संशोधित निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 13.8.2025/26.9.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

नोट: आदेशिका दिनांक 16/10/25 की पालना में वादिया का हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/4 शुद्ध किया गया।

16/10/2025

Scanned with CamScanner

(संशोधित डिक्री)

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्डाधिकारी सैपऊ
व इजलास – कर्मवीर सिंह (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 84/2024

1–रीना गोस्वामी पत्नी श्री प्रमोदपुरी जाति गुसाई निवासी मठ चिलाचौंद बाडी जिला धौलपुर।

--- वादिया

बनाम

1–रिन्कू पुत्र महेश जाति गुसाई निवासी पुरा करीमपुर तह. सैंपउ
2– संजय पुत्र महेश जाति गुसाई निवासी पुरा करीमपुर तह. सैंपउ
3– शशि पुत्री महेश जाति गुसाई निवासी पुरा करीमपुर तह. सैंपउ
4– किशनवन पुत्र श्री मोहनवन गुसाई निवासी महाराजपुरा तहसील व जिला धौलपुर राज0

--- असल प्रतिवादीगण

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सैंपऊ जिला धौलपुर।

--- तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा वावत् स्वत्व घोषणा ,दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ कर्मवीर सिंह (आर. ए. एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री हजरत खॉ एडवोकेट एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री गिरीश व्यास एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी नवीन खसरा नम्बर 1247/1160 रकवा 0.0506 हे. में से हिस्सा 1/8 1/4 भाग वाके ग्राम पुरा करीमपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर में रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर वादिया के नाम की प्रविष्टि की जावे। तथा प्रतिवादीगण 1 लगा0 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा के लिए प्रतिबन्धित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि में वादिया को जबरन बलपूर्वक बेदखल नहीं करें ना ही किसी प्रकार की दखलन्दाजी करें ।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से संशोधित डिक्री दिनांक 13.8.2025/26.9.2025 को जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

नोट: आदेशिका दिनांक 16/10/25 की पालना में वादिया का हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/4 शुद्ध किया गया।

16/10/2025

Scanned with CamScanner